रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 523] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 23, 1971/कार्तिक 1, 1893
No. 523] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 1971/KARTIKA 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 23rd October 1971

NOTIFICATION

S.O. 4037.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service connected with the supply of electrical energy to the public in the State of Assam or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply [not being any such service falling under sub-clause (viii) of clause (a) aforesaid] would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares every such service to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. EL.II.17(131)/71.]

S. N. VINZE, Jt. Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1971

का० आ० 4937.—आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, जिसकी यह राय है कि असम राज्य में जनता को विद्युत ऊर्जा के प्रदाय से या ऐसे प्रदाय के प्रयोजनार्थ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, भंडारकरण या पारेषण से संबंधित ऐसी किसी सेवा में [जो पूर्वोक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (viii) के अधीन आने वाली सेवा न हो] हड़तालों के परिणामस्वरूप समुदाय को गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हर ऐसी सेवा को [illegible] आवश्यक सेवा घोषित करती है।

[सं० ई०एल०-II-17(131)/71]

श्री० ना० विंझे, संयुक्त सचिव।

ORDER

New Delhi, the 23rd October 1971

S.O. 4038.—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest, it is necessary to make the following order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any service in the State of Assam connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply, which has been declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power, S.O. 4037, dated the 23rd October, 1971, to be an essential service for the purposes of the said Act or which falls under sub-clause (viii) of caluse (a) of sub-section (1) of section 2 of the said Act.

[No. EL.II.17(131)/71.]

By order and in the name of the President.

S. N. VINZE, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1971

का० आ० 4038.—यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में निम्नलिखित आदेश करना आवश्यक है;

अत:, अब, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा असम राज्य में ऐसी किसी सेवा में हड़तालों का प्रतिषेध करती है जो जनता को

विद्युत ऊर्जा के प्रदाय से या ऐसे प्रदाय के प्रयोजनार्थ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, भंडारकरण या पारेषण से सम्बंधित है जो भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 4037, तारीख 23 अक्तूबर, 1971 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सेवा घोषित की जा चुकी है या जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (viii) के अधीन आती है।

[सं० ई० एल०II–17(131)/71]

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में

श्री ना० बिझे, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974